राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–1646/2012/जयपुर

जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0
जरिये सहायक अभियंता O&M जयपुर विद्युत वितरण
निगम लि0 रेनवाल। .....प्रार्थी.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक सांभर
जिला जयपुर। .....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अशोक कुमार माथुर
अभिभाषक। ....प्रार्थी की ओर से.
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक। ......अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05.09.2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर वृत्त द्वितीय (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2012 एवं 12.02.2007 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उप पंजीयक सांभर लेक द्वारा उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर वृत्त के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर के आदेश दिनांक 16.08.2003 से ग्राम रेनवाल में 2 बीघा भूमि J.V.V.N.L को ग्रिड सबस्टेशन स्थापित करने हेतु आवंटित की गई थी परन्तु लीज डीड का पंजीयन नहीं करवाया है जबकि भारतीय पंजीयन अधिनियम की 1908 धारा 17(1)(B) के अनुसार अचल सम्पत्ति की मालियत रू. 100/– या अधिक हो तो पंजीयन आवश्यक है। राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम 1952 की द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल 35 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ6(2)राजस्व/ग्रुप 4(76)/4/एसओ 62 दिनांक 05.05.1994 के अनुसार लीजडीड का पंजीयन अनिवार्य है। लीज डीड पर प्रतिफल एवं 2 वर्ष के किराये पर मुद्रांक कर देय है। अतः भूमि की कीमत रू. 1,04,000,/– दो वर्ष का लीज रेंट रू. 20,800/– कुल राशि रू. 1,24,800/– पर मुद्रांक कर रू. 13,728/– पंजीयन शुल्क रू. 1,248/– कुल राशि रू. 14,976/– वसूली योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 12.02.2007 द्वारा मुद्रांक कर रू. 13,730/– शास्ति रू. 270/– कुल रू. 14,000/– रू. वसूल किये जाने के आदेश दिये। प्रार्थी की ओर से दिनांक 30.03.2012 को आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो निर्णय दिनांक 21.08.2012 द्वारा खारिज किया गया है। प्रार्थी द्वारा उपर्यक्त आदेशों से व्यथित होकर विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत की गई है।

लगातार..................2

3. निगरानी दर्ज कर रिकार्ड व रेस्पोंडेंट तलब किये गये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नंही किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ–21(49)/एफडी/टैक्स/3–44 दिनांक 30.08.2007 प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमें यह स्पष्ट अधिसूचित था कि मुद्रांक की राशि 0.25% कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान ऐसी कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जाये।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है –

8. निगरानीकर्ता का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में विभागीय प्रतिनिधी श्री गुलाब चन्द द्रोण उपस्थित आये हैं। निर्णय के समय विभागीय प्रतिनिधी श्री गुलाब चन्द द्रोण उपस्थित है।

9. निगरानीकर्ता का निगरानी में मुख्य आधार यह है कि न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ–21(49)/एफडी/टैक्स/3–44 दिनांक 30.08.2007 व 05.08.2008 प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमें यह स्पष्ट अधिसूचित था कि मुद्रांक की राशि 0.25% कर दी गई है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना निर्णय पारित किया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 30.08.2007 प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 12.02.2007 पारित किया है। तत्पश्चात निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 30.03.2012 के सलंग्न अधिसूचना दिनांक 30.08.2007 प्रस्तुत की गई है। इस अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा 1997–98 से 2001–02 के मध्य आवंटित भूमि पर स्टाम्प डयूटी 0.25% की जाती है परन्त यदि स्टाम्प डयूटी जमा करवा दी गई है तो उसे वापिस नहीं लौटाया जाएगा। इसी प्रकार अधिसूचना दिनांक 05.08.2008 में वर्ष 2002–03 से 2007–08 के मध्य आवंटित भूमि पर स्टाम्प डयूटी में कमी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्टाम्प डयूटी बाबत निर्णय दिनांक 12.02.2007 को पारित किया है तथा उस समय यह अधिसूचना दिनांक 30.08.2007 व 05.08.2008 जारी ही नहीं हुई थी परन्तु प्रार्थना पत्र दिनांक 30.03.2012 के संलग्न अधिसूचना दिनांक 30.08.2007 व 05.08.2008 इन अधिसूचनाओं में राज्य सरकार द्वारा लोक हित में स्टाम्प डयूटी को कम किया गया है। यह अधिसूचनाएं हालाँकि भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की गई है परन्तु इनमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो आवंटन 1997–98 से 2001–02 एवं 2002–03 से 2007–08 के मध्य किये गये हैं उन पर स्टाम्प डयूटी कम कर दी गई है। विचाराधीन प्रकरण में निगरानीकर्ता को भूमि का आवंटन

लगातार.................3

जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 16.08.2003 से हुई है तथा इस तिथि को आवंटित भूमि पर स्टाम्प डयूटी अधिसूचना संख्या 05.08.2008 के अनुसार देय बनती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त अधिसूचनाओं पर ध्यान दिये बिना निर्णय पारित किया है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी आंशिक स्वीकार किए जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायायलय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि वे उभयपक्ष को सुनकर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए पुनःनिणर्य पारित करें।

आदेश

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2007 एवं 21.05.2012 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायायलय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनकर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए पुनःनिणर्य पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति समस्त संबंधित को जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05.09.2016 को सुनाया गया।

(नत्थू राम)
सदस्य